264

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 1997/फाल्गुन 27, 1918
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 1997/PHALGUNA 27, 1918

indiacode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1997

संकल्प

प्रबन्धन शिक्षा सहित उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क निर्धारण नीति

सं. एफ. 20-43/96-डेस्क (यू.).—उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य मामले में भारत उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी, 1993 को निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में दाखिला और शुल्क तय करने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाली एक योजना निर्धारित की। इसके बाद इस योजना का "उन्नीकृष्णन मामले में योजना" के रूप में उल्लेख किया जाएगा। अंतरिम उपाय के तौर पर योजना में एक तदर्थ शुल्क निर्धारण प्रक्रिया और कतिपय सम्बद्ध विषयों का प्रावधान किया गया। तथापि, दीर्घकालिक उपाय के तौर पर योजना के पैरा 6(6) में यह अपेक्षा की गई है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) और भारतीय चिकित्सा परिषद तथा दंत चिकित्सा परिषद इस मामले में उपयुक्त विनियमों को बनाए जो इस योजना के तदर्थ प्रावधानों की जगह ले सकें।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में विभिन्न राज्यों के निजी इंजीनियरिंग कालेजों में न्यायालयों द्वारा उपयुक्त समझे गए दरों पर शुल्क निर्धारित किए गए। तत्पश्चात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विनियम निर्धारित किए गए जिनमें शुल्क और पर न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना की विशेषताएं शामिल की गई। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस विषय पर विनियमों का प्रारूप तैयार किया है। तथापि, चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों के मामले में समय-समय पर न्यायालय द्वारा शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं।

3. न्यायालय ने उन्नीकृष्णन मामले में योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर विचार किया था, जैसा कि 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. नं. 317 में और रि. नं. 66 में इसके विभिन्न आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है। 9 अगस्त, 1996 को पारित आदेश में शिक्षा मंत्रालय सहित केन्द्र सरकार से चिकित्सा, इंजीनियरी और दंत चिकित्सा कालेजों के लिए पूरे देश में तीन माह के भीतर समुचित शुल्क ढांचा तैयार करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों की बैठक बुलाने के मामले कदम उठाने की अपेक्षा है—जिसे अब 28 फरवरी, 1996 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

4. तदनुसार सभी संबंधितों, अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा तकनीकी, उच्च और चिकित्सा शिक्षा के विभाग के प्रतिनिधियों की बैठकें 30 जनवरी, 1996 तथा 3 अक्तूबर, 1996 को आयोजित की गई जिनमें सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया गया। इन बैठकों के अनुसरण में न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की यह सीमा रखी कि चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों के लिए प्रस्तावित शुल्क ढांचा अगले शिक्षा सत्र और यह कि सभी व्यावसायिक गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए आवेदन पत्र एक समान शुल्क ढांचा होना आवश्यक नहीं है

[illegible]

[illegible] के लिए राज्य सरकारों के मंत्रियों की बैठकों में भी समीक्षित विस्तृत सिफारिशों के आधार पर तैयार उच्चतर और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान संस्थानों में शुल्क निर्धारण की नीति को सही स्वीकार करते हैं। नीतियां अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं :

6.1 सामान्य सिद्धांत :

सभी प्रतिनिदेश नीति संबंधी दिशा-निर्देश सात संस्थाओं में एक उचित शुल्क ढांचा सुनिश्चित करने पर है। कोई भी शुल्क ढांचा तुलित होने के लिए जरूरी है कि वह सभी लाभार्थियों अर्थात् छात्रों अथवा उनके अभिभावकों, प्रबंधन, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य के प्रकार की नीति का आधार सार्वभौमीकरण तथा नुकसान करने को रोकने में सहायक होना चाहिए तथा साथ ही साथ समाज के अनुसार उन सुविधाओं और परिसंपत्तियों के राष्ट्रीय संसाधन का भी सुनिश्चित होना चाहिए। इन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को विस्तृत सामान्य सिद्धांतों के रूप में माना जा सकता है जो वर्तमान नीति ढांचा को अवगत कराता है :

(i) मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति का निषेध तथा यथासंभव न लाभ न हानि के सिद्धांत का सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नीकृष्ट मामले में संस्थान की विशेषता है ;

(ii) व्यावसायीकरण से बचने संबंधी आधारभूत सिद्धांत में बगैर किसी के ऐसे शुल्क को अनुमति देना जिससे कि सुविधाओं का परिवर्धन न हो सके,

(iii) शुल्क निर्धारण के लिए मानदंडों और बोधगम्य प्रक्रिया का प्रावधान करना,

(iv) और इसे सिर्फ कालेजों तक सीमित नहीं करना बल्कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं को उनके जो उन्नीकृष्ट के अंतर्गत आता है,

(v) शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को भागीदार बनाना।

6.2 प्रयोज्यता :

ये नीति दिशा निर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 52) के तहत यथा परिभाषित तकनीकी शिक्षा वाली स्व-पोषित संस्थाएं जिसमें डिग्री प्रदान करके या किसी और तरह से प्रबंधन में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं शामिल है ।

(ख) "सहायता अनुदान आधार पर नहीं" के आधार पर संचालित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज, और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 3) के अधीन "सम-विश्वविद्यालय" संस्थाएं, यदि उन प्रश्न की संस्थाएं केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें अथवा उनके नियंत्रणाधीन सांविधिक अनुदान संवितरक निकायों से अनुरक्षण अनुदान लिए बिना स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित है।

3.2 यद्यपि सम-विश्वविद्यालयों को उन्नीकृष्ट मामले में योजना में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है तथापि, इस नीति के क्षेत्रों उनके शामिल होने को इस आधार पर आवश्यक समझा गया है कि ऐसे संस्थानों को निजी कालेजों के समतुल्य समझना औचित्यपूर्ण और उपयुक्त है

6.3 प्रवेश :

4.1 उन्नीकृष्ट मामले में योजना में प्रवेश के ढंग और वर्तमान शुल्क-निर्धारण कार्यविधियों का अभिन्न अंग है। अतः उस योजना में शामिल प्रवेश कार्यविधियां मौजूदा नीति के अंतर्गत शामिल संस्थाओं पर लागू होंगी। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में आयोग को प्रवेश, संबंधित विनियम जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, अतः उन्नीकृष्ट मामले में नियंत्र तथा मौजूदा संकल्प द्वारा आयोग को उन्नीकृष्ट मामले योजना के अनुसार प्रवेश से संबंधित उपयुक्त प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

6.4 शुल्क निर्धारण :

(क) विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण समितियों द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा

(ख) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में शुल्क का निर्धारण राज्य स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखि शामिल होंगे—

(i) राज्य में विश्वविद्यालयों में से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले एक विश्वविद्यालय का कुलपति— अध्यक्ष

(ii) तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार के लिए योजना के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी उसके नामित प्रतिनिधि— सदस्य

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, कास्ट अकाउंटेंसी तथा संस्थागत वित्त, प्रत्येक में एक एक विशेषज्ञ—सदस्य

(iv) संबंधित राज्य का तकनीकी शिक्षा निदेशक—सदस्य सचिव

(ग) सहायता अनुदान नहीं के आधार पर संचालित संबद्ध कालेजों में लिए जाने योग्य शुल्क का निर्धारण राज्य स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति—अध्यक्ष

(ii) उच्चतर शिक्षा तथा वित्त विभाग के प्रभारी सचिव अथवा उनके द्वारा नामित—सदस्य

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ, संस्थागत वित्त, कास्ट अकाउंटेंसी तथा अर्थशास्त्र में प्रत्येक में एक-एक विशेषज्ञ—सदस्य

(iv) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले किसी एक विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी सदस्य; और —

(v) संबंधित राज्य के उच्चतर अथवा कालेजोत्तर शिक्षा का प्रभारी निदेशक—सदस्य

(घ) सम विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं द्वारा लिए जाने योग्य शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्थायी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) आयोग का एक सदस्य—अध्यक्ष

(ii) आयोग द्वारा नामित किया जाने वाले एक कुलपति —सदस्य

(iii) आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, कास्ट अकाउंटेंसी तथा संस्थागत वित्त, प्रत्येक में एक-एक विशेषज्ञ—सदस्य

(iv) जहां कोई सम-विश्वविद्यालय तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, जैसा भी मामला हो, का कोई नामित व्यक्ति—सदस्य

(v) उस राज्य के उच्च/तकनीकी/मेडिकल शिक्षा सचिव (संस्था की विशेषज्ञता के आधार पर) अथवा उसके नामित व्यक्ति को, जहां सम-विश्वविद्यालय स्थित है, उस राज्य में सम-विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क ढांचे के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ही सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

(vi) आयोग का अपर-सचिव श्रेणी का कोई अधिकारी—सदस्य सचिव

6.3 समिति द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य विधि

(क) 5.2 तथा 5.3 में उल्लिखित समितियों को क्रमशः संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी तथा उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा सचिवालय सहायता प्रदान की जाएगी। 5.4 में उल्लिखित स्थायी समिति को आयोग के सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) पदेन सदस्यों को छोड़कर समिति के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति की सिफारिशें भी तीन वर्ष तक वैध रहेंगी।

(ग) प्रत्येक समिति अपनी कार्य विधि तैयार करने के लिए स्वतन्त्र होगी। तथापि, इस कार्यविधि में अनिवार्यतः संबंधित संस्थाओं को उनके द्वारा संगत समझी जाने वाली सामग्री प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना शामिल होगा। समिति को जैसा वह संगत समझे सूचना तथा ब्यौरा मंगवाने का अधिकार होगा। अपने कार्यों को समुचित ढंग से चलाने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनार्थ तथा समितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई अवधि तथा अन्तिम तिथि निर्धारित करेगी।

(घ) निर्धारित किया गया शुल्क तीन वर्ष तक लागू रहेगा। समितियां विभिन्न श्रेणियों में आने वाली संस्थाओं के लिए यदि श्रेणीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और वस्तुपरक मानदण्डों के आधार पर औचित्यपूर्ण पाया जाता है, तो शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित कर सकती हैं। विशेष रूप से समितियां ग्रामीण-क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित करने को स्वतन्त्र होंगी।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को, जैसा भी मामला हो, उनके क्षेत्राधिकारांतर्गत समितियों से सूचना तथा स्पष्टीकरण मंगवाने का अधिकार होगा।

(च) लिए जाने योग्य शुल्क का निर्धारण करते समय, समिति का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि शुल्क संबंधित संस्थाओं के लिए लाभ अथवा वाणिज्यीकरण का स्रोत न बने। यह दृष्टिकोण शुल्क निर्धारण करने से संबंधित मामलों में न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप होगा।

6.4 शुल्क निर्धारण

(क) शुल्क को दो बड़ी श्रेणियों होंगी—शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क।

समिति संस्थाओं के प्रबंधन उपयुक्त मदों से छात्रावास और भोजन व्यवस्था की वास्तविक लागत वसूल कर सकते हैं यदि सम्बन्धित समिति ऐसी लागतों की उपयुक्तता से संतुष्ट हो।

(ख) शिक्षण शुल्क में शिक्षा प्रदान करने की वास्तविक लागत को शामिल करने की अपेक्षा होगी। समिति उक्त प्रकार शुल्क का निर्धारण करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(i) शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पारिश्रमिक, यदि देय हो, शामिल पेंशन और भत्ते;

(ii) प्रशासनिक सेवाओं का खर्च;

(iii) उपयोग में आने वाली वस्तुओं सहित प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण की लागत;

(iv) विधिक अपेक्षाओं जैसे लेखा-परीक्षा शुल्क, आदि सहित आकस्मिक व्यय;

(v) पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को प्राप्त करने की लागत, और

(vi) किराए और प्रयुक्त सहित भवनों और अन्य परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण।

उपयुक्त पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क भुगतान और अप्रवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों आदि श्रेणियों के सीट धारकों के लिए उपयुक्त दरें निर्धारित — आएंगी।

(ग) जहां भी कर्मचारियों के वेतन और अन्य मदों के खर्चे के मानदंड अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ऐसे मानदंडों को शीघ्र सीमा तक तुरंत तैयार करेंगी। जिन मामलों में विनिर्दिष्ट मात्रात्मक मानदंडों का निर्धारण न मुश्किल है। उनमें सम्बंधित समिति सम्बन्धित खर्च की उपयुक्तता और औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान जाएगा कि परियोजनागत खर्च प्रायोजकों के लाभ का साधन न बनें।

(घ) क्योंकि उन्मीलित मामले में योजना में व्यावसायीकरण और लाभ कमाने का निषेध किया गया है, अतः सम्बंधित संस्थाओं को निवेश पर लाभ हेतु दावा करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, इसे संस्थानों के और आगे विकास के लिए और परिसम्पत्तियों को बदलने और उनके उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने के लिए संस्थानों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जबकि, निवेश पर प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं होगा, न्यायालय ने उन्मीलन निर्णय में निवेश पर वसूली का प्रश्न केंद्रीय सरकार और सांविधिक निकायों पर छोड़ दिया है। अतः यह वांछनीय समझा गया है कि विकास शुल्क में प्रबंधन की आंशिक पूंजीगत लागत वसूली के एक तत्व (परन्तु निवेश पर कोई प्रतिलाभ नहीं) उसके अनुरक्षण तथा प्रतिस्थापन के लिए संसाधन के रूप में काम आने के लिए अवस्था की जा सकती है।

(ङ) विकास शुल्क अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जैसा मामला हो, प्रत्येक तीन वर्षों में निर्धारित की गई समान दरों पर हो सकता है। "भुगतान वाली", "योग्यता वाली" और विदेशी/अप्रवासी भारतीय सीट धारकों के लिए विभिन्न दरें निर्धारित की जाएंगी। ये निकाय संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्लैब निर्धारित करने के उद्देश्य से संस्थानों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण भी कर सकते हैं बशर्ते इस प्रकार का वर्गीकरण विवेकपूर्ण और उद्देश्य मूलक मानदंड पर आधारित हो।

(च) पहले दस वर्षों में विकास शुल्क को आय का ठीक आधा अथवा इस लागत का वास्तविक मूल्य इनमें से जो भी कम हो प्रबंधनों पर निर्भर होगा कि वे इसे ले सकते हैं। शेष आधा पहले दस वर्षों में उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा और इसके बाद सम्पूर्ण आय का इसी प्रकार उपयोग करना होगा।

(छ) जो फीस देय होगी वह सम्बंधित समिति द्वारा अधिसूचित की जाएगी, यह सम्बंधित सांविधिक निकाय का दायित्व होगा कि वह ऐसे निकायों को काफी पहले विकास शुल्क की दर सूचित करे जिससे उपयुक्त समिति अपनी अधिसूचना में इन दरों को उपयुक्त ढंग से शामिल कर सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जब इन दरों का निर्धारण करेगी तब निजी संस्थाओं, राज्य सरकारों और जनता के इच्छुक सदस्यों के सुझावों और विचारों का ध्यान रखेंगी।

6.7 शुल्क लेखों का अनुरक्षण

(क) संस्थाएं दो लेखे रखेंगी—अनुरक्षण लेखे और विकास लेखे।

(ख) शिक्षा शुल्क और भोजन एवं आवास की लागत वसूलियों से आय अनुरक्षण लेखे में जमा किया जाएगा। यह लेखा दो भागों में विभाजित किया जाएगा-(क) वेतन और भत्ते तथा (ख) अन्य खर्च। सभी प्रकार का आवर्ती खर्च इसी खाते से किया जाएगा और इन दो भागों के अधीन हिसाब रखा जाएगा।

(ग) पहले दस वर्षों में विकास शुल्क से प्राप्त कम से कम आधी आय को विकास खाते में जमा किया जाएगा उसके बाद यह लेखा इस शुल्क की सम्पूर्ण आय प्राप्त करेगा, संस्थान को विविध आय भी इसी खाते में जमा की जाएगी। इस शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग उपस्करों की खरीद, पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह प्रबंधनों पर भी निर्भर होगा, कि वे संकाय सुधार संबंधी खर्च भी इस खाते में डालें।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमों में सम्बंधित संस्थाओं के लेखों को लेखा परीक्षा को अवश्य यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि वित्तीय प्रबंधन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों और विनियमों के विस्तृत ढांचे के अनुरूप है।

6.8 शुल्क निर्धारण से सम्बंधित अन्य प्रक्रियात्मक मामले :

(क) एक बार निर्धारित किया गया शुल्क तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। एक सत्र के लिए शुल्क का भुगतान अग्रिम किया जाएगा। सम्बंधित समिति, आगे वर्ष के लिए प्रवेश करने वाले नए में प्रति सत्र देय कुल शुल्क को सम्बन्धित राज्य के ऐसे दो समाचार पत्रों में जिनका परिचालन सम्पूर्ण राज्य में हो। उस तथ्य के होते हुए भी कि एक बार निर्धारित किया गया शुल्क तीन वर्षों के लिए वैध पुस्तकालय प्रकाशित करेगी जिसका परिचालन सम्पूर्ण राज्य में हो। उस तथ्य के होते हुए भी कि एक बार निर्धारित किया गया शुल्क तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा यदि कोई कमी पाया जाएगा।

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए शुल्क का निर्धारण करते समय, समितियां प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार शुल्क निर्धारित करने के समय निम्नलिखित बातों में जमा खर्च न करने वाले ऐसे मदों, यदि कोई हों, का ध्यान रखेंगी।

(ग) जो संस्थाएं निर्धारित दर से अधिक शुल्क की उगाही करेंगी अथवा निर्धारित रीति में लेखों का रख-रखाव नहीं कर पाएंगी या अन्यथा उपयुक्त विनियमों का उल्लंघन करते पाई जाएंगी उनको अनुमति/सम्बद्धता रद्द कर दी जाएगी। उपयुक्त विनियमों में मार्ग-दर्शी सिद्धांत शामिल किए जाएंगे।

7. संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमों में उपयुक्त रूप में शामिल किया जाएगा।

8. इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए यह संकल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश समझे जाए।

पी. आर. दासगुप्ता, सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 18th March, 1997

RESOLUTION

Policy on Fee Fixation in Private Unaided Educational Institutions imparting Higher and Technical Education including Management Education.

No. F. 20-43/96-Desk(U).—The Supreme Court of India in Unnikrishnan JP versus State of Andhra Pradesh had, on 8th February, 1993 laid down a scheme regulating admission and levy of fee in private unaided educational institutions particularly those imparting professional Education. This scheme will be referred hereinafter as the 'Scheme in Unnikrishnan'. As an interim measure the Scheme provided for an adhoc fee determination procedure and certain allied matters. As a long term measure, however para 6(6) of the scheme required that the All India Council of Technical Education (AICTE), University Grants Commission (UGC) and the Medical Council of India, and the Dental Council will frame suitable regulations in the matter which would replace the adhoc provisions of that Scheme.

2. Pursuant to the above decision, fee was fixed in various States in Private Engineering Colleges at rates that were found to be suitable by the Courts. Regulations were framed soon thereafter by the All India Council of Technical Education broadly incorporating the features of the Scheme laid down by the Court. Similarly, the University Grants Commission has also prepared draft regulations on the subject. In case of Medical and Dental Colleges, however, rates of fee have been laid down by the Court from time to time.

3. The Court had occasion to consider the status of implementation of the Scheme in Unnikrishnan, as modified by its various orders, in IA No. 66 in CWP No. 317 of 1993. The orders passed on 9th August 1996 require the Central Government, including the Ministry of Education to take steps to convene a meeting of all the concerned authorities for evolving a proper fee structure for Medical, Engineering and Dental Colleges throughout the country within three months—which now stands extended till 28th February, 1997.

4. Meetings of all concerned, viz. the Ministries of Health & Family Welfare and Law and the Medical Council of India, the Dental Council of India, the AICTE and the UGC, and Representatives of Technical, Higher and Medical Education Departments were, accordingly, held on 30th August, 1996 and 8th October, 1996 where all the relevant issues were considered. Pursuant to these meetings, Ministry of Health & Family Welfare, took a view that the proposed fee structure for Medical and Dental Colleges could be evolved separately, and that it was not practicable to have a common fee structure for all professional Unaided institutions generally.

5. To take a final view in the matter, a meeting of State Higher and Technical Education Ministers was convened by the Union Minister of Human Resource Development on 10th December 1996 wherein it was decided that self-contained policy directions could be issued applicable to sectors of education, falling within the purview of the Ministry of Human Resource Development, namely Higher and Technical Education. The meeting noted that while the AICTE had notified its regulations and the UGC was in the process of doing so, uniform policy, directions were still needed to be laid down by the Government to cover all aspects of relevance in determining rates of fee. It was felt that further changes and details could be incorporated in the regulations/draft regulations in the light of these policy declarations.

6. President of India is pleased to approve the policy on Fee determination in Private Unaided Institutions in the Higher & Technical Education Sectors, formulated on the basis of the broad principles arrived at in the meetings of the officials of the State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu and also endorsed in the meetings of the Ministers of State Governments for Higher and Technical Education. The policy is laid down in succeeding paras.

General Principles:

The policy guide-lines enunciated below seek to ensure a fair fee structure in the relevant institutions. A fee structure to be fair, has to be fair to all concerned, namely the students and their guardians, the management, faculty members and employees. The bed-rock of such a policy has to be avoidance of commercialization and profit-making while simultaneously ensuring maintenance of standards and upkeep of facilities and assets. Keeping these as prime considerations, the following are identified as the broad general principles which inform the present policy framework :

(i) Prevention of profit making and ensuring, as far as possible, the principle of no-profit-no-loss which underlines the scheme in Unnikrishnan;

(ii) Without diluting the fundamental concern of avoiding commercialization, to make allowance in the fee so as to provide for replacement and upgradation of facilities;

(iii) Providing for a transparent and intelligible procedure for fee determination;

(iv) Bringing all private unaided institutions within the purview of the scheme—not merely confining it to 'Colleges'; and

(v) Involving the State Governments concerned in the process of fee determination.

Applicability:

These policy guidelines will apply to the following :

(a) Self-financing institutions imparting technical education as defined under the All India Council of Technical Education Act, 1987 (Act 52 of 1987), including institutions imparting Post-Graduate Education in Management whether by awarding degrees or otherwise;

(b) Colleges, affiliated to the universities, operating on 'no grant-in-aid' basis; and

(c) Institutions "deemed to be universities" under the University Grants Commission Act, 1956 (Act No. 3 of 1956), if such institutions operate on self-financing basis without receiving maintenance grants from the Central or State Governments or statutory grant disbursing bodies under their control.

3.2 Even though 'deemed universities' are not expressly included in the Scheme in Unnikrishnan, their inclusion within the purview of this policy is considered necessary on the grounds treating such institution at par with private colleges would be just and appropriate.

Admissions :

4.1 In the scheme in Unnikrishnan, the manner and method of admissions form part and parcel of the fee determination procedures. The admission procedure incorporated in that scheme will, therefore, apply to the institutions covered under the present policy. As the UGC Act does not empower the Commission to issue regulations relating to 'Admissions', the judgement in Unnikrishnan and the present Resolution will be construed as enabling the Commission to make suitable provisions relating to admissions in accordance with the scheme in Unnikrishnan.

Determination of Fee :

(a) Fee chargeable by various categories of institutions shall be determined by the Committees prescribed below :

(b) Fee in institutions imparting technical education will be determined by State Level Committees consisting of the following :

(i) Vice-Chancellor of one of the universities in the State to be nominated by the State Government concerned—Chairperson.

(ii) Secretaries in-charge of the Technical Education and Finance Departments of the State Government concerned or their nominees—Members;

(iii) Three experts, one each in Economics, Cost Accountancy, and Institutional Finance, to be nominated by the All India Council of Technical Education—Members;

(iv) Director Technical Education of the State concerned the Members-Secretary;

(c) Fee chargeable in affiliated colleges operating on 'No-Grant-in-aid' basis shall be determined by state level Committee consisting of :

(i) Vice-Chancellor of one of the universities in the State nominated by the state Government concerned—Chairperson;

(ii) Secretaries in-charge of the Higher Education and Finance Departments or their nominees—Members;

(iii) Three experts one each in Institutional Finance, Cost Accountancy and Economics to be nominated by the University Grants Commission—Members;

(iv) Finance Officers of one of the Universities to be nominated by the State Government—Member; and

(v) Director of Collegiate Education of the State concerned—Member Secretary.

(d) Fee chargeable by institutions deemed to be universities will be determined by a Standing Committee of the University Grants Commission consisting of :

(i) A Member of the Commission—Chairperson;

(ii) One Vice-Chancellor to be nominated by the Commission—Member;

(iii) Three experts, one each in Econimics, Cost Accountancy and Institutional Finance to be nominated by the Commission—Members;

(iv) Where a deemed university conducts courses in Technical/Medical Education, a nominee of the All India Council of Technical Education/Medical Council of India/Dental Council of India as the cases may be— Member;

(v) State Secretary Higher/Technical/Medical education (depending on the field of specialization of the institution) or his nominee will be co-opted as the Member for the purposes only of determining the fee structure for 'deemed universities' in the State concerned;

(vi) An officer of the UGC of the Rank of Additional Secretary—Member Secretary.

6.5 Procedure to be Adopted by the Committee:

(a) Secretarial Assistance to the Committees referred in 5.2 and 5.3 will be rendered by the Directorates of Technical and Higher education respectively of the State Government concerned. The Standing Committee referred to in 5.4 will be assisted by the Secretariat of the UGC.

(b) Members of the Committee, other than ex-officio Members, will hold office for a period of three years. The recommendations of the Committee will also be valid for three years.

(c) Each Committee will be free to device its own procedure. The procedure will however, compulsorily include giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they consider relevant. The Committee will also have power to call for such information and details as it considers relevant. To carry out its functions smoothly, the bodies would lay down timebound 'action-calendars' and 'dead-lines' for compliance of the institutions concerned and for completing the Committees' own tasks.

(d) Fee once determineed shall be in force for three years. The Committees may determine different rates of fee for Institutions falling in different classes, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular the Committees will be free to fix different rates for institutions located in rural areas.

(e) The UGC and the AICTE, as the case may be, will have power to call for information and clarifications from the Committees under their purview.

(f) While determining the fee chargeable, it will be the duty of the Committee to ensure that Fee does not become a source of profit or commercialisation for the institutions concerned. This approach would be in conformity with pronouncements of the Court in cases dealing with fee determination.

6.6 Fee Determination :

(a) Fee will have two broad categories—Tuition Fee and Development Fee.

Besides, the management of the institutions may realise the actual cost of boarding & messing from the above students subject to the relevant Committee being satisfied about the reasonableness of such costs.

(b) Tuition Fee will seek to recover the actual cost of imparting education. While assessing a fair tuition fee the Committee will take into account the following :

(i) Salary and allowances including bonus, if admissible, to teaching and non-teaching employees;

(ii) Expenditure on administrative services;

(iii) Cost of maintenance of laboratories including consumables;

(iv) Contingent expenditure including statutory requirements like audit fee etc.

(v) Cost of acquisition of books and journals for libraries; and

(vi) Maintenance of buildings and other assests including rents and tariffs.

Keeping the above parameters in view, suitable rates will be fixed for holders of 'free', 'payment', and 'NRI/Foreign Students' categories.

(c) The UGC and AICTE will forthwith prepare norms relating to staffing and scales of expenditure for other items wherever such norms have not so far been worked out, to the extent feasible. In cases where it is difficult to lay down specific quantified norms the relevent Committee shall satisfy themselves about the adequacy and reasonableness of the expenditure involved. Care will be taken to ensure that the projected expenditure does not become a source of profit to the sponsors.

(d) As the scheme in Unnikrishnan prohibits commercialization and profit-making, it will not be open to the institutions concerned to claim any return on investments. This should, however, not come in the way of the institutions in mobilizing resources for replacement and upgradation of assets. Further, while aiming return on investment

(d) Fee chargeable by Institutions deemed to be universities will be determined by a Standing Committee of the University Grants Commission consisting of :

(i) A Member of the Commission—Chairperson;

(ii) One Vice-Chancellor to be nominated by the Commission—Member;

(iii) Three experts, one each in Econimics, Cost Accountancy and Institutional Finance to be nominated by the Commission—Members;

(iv) Where a deemed university conducts courses in Technical/Medical Education, a nominee of the All India Council of Technical Education, Medical Council of India/Dental Council of India as the cases may be— Member;

(v) State Secretary Higher/Technical/Medical education (depending on the field of specialization of the institution) or his nominee will be co-opted as the Member for the purposes only of determining the fee structure for 'deemed universities' in the State concerned;

(vi) An officer of the UGC of the Rank of Additional Secretary—Member Secretary.

6.5 Procedure to be Adopted by the Committee:

(a) Secretarial Assistance to the Committees referred in 5.2 and 5.3 will be rendered by the Directorates of Technical and Higher education respectively of the State Government concerned. The Standing Committee referred to in 5.4 will be assisted by the Secretariat of the UGC.

(b) Members of the Committee, other than ex-officio Members, will hold office for a period of three years. The recommendations of the Committee will also be valid for three years.

(c) Each Committee will be free to device its own procedure. The procedure will however, compulsorily include giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they consider relevant. The Committee will also have power to call for such information and details as it considers relevant. To carry out its functions smoothly, the bodies would lay down timebound 'action-calendars' and 'dead-lines' for compliance of the institutions concerned and for completing the Committees' own tasks.

(d) Fee once determineed shall be in force for three years. The Committees may determine different rates of fee for Institutions falling in different classes, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular the Committees will be free to fix different rates for institutions located in rural areas.

(e) The UGC and the AICTE, as the case may be, will have power to call for information and clarifications from the Committees under their purview.

(f) While determining the fee chargeable, it will be the duty of the Committee to ensure that Fee does not become a source of profit or commercialisation for the institutions concerned. This approach would be in conformity with pronouncements of the Court in cases dealing with fee determination.

6.6 Fee Determination :

(a) Fee will have two broad categories—Tuition Fee and Development Fee.

Besides, the management of the institutions may realise the actual cost of boarding & messing from the above students subject to the relevant Committee being satisfied about the reasonableness of such costs.

(b) Tuition Fee will seek to recover the actual cost of imparting education. While assessing a fair tuition fee the Committee will take into account the following :

(i) Salary and allowances including bonus, if admissible, to teaching and non-teaching employees;

(ii) Expenditure on administrative services;

(iii) Cost of maintenance of laboratories including consumables;

(iv) Contingent expenditure including statutory requirements like audit fee etc.

(v) Cost of acquisition of books and journals for libraries; and

(vi) Maintenance of buildings and other assests including rents and tariffs.

Keeping the above parameters in view, suitable rates will be fixed for holders of 'free', 'payment', and 'NRI/Foreign Students' categories.

(c) The UGC and AICTE will forthwith prepare norms relating to staffing and scales of expenditure for other items wherever such norms have not so far been worked out, to the extent feasible. In cases where it is difficult to lay down specific quantified norms the relevent Committee shall satisfy themselves about the adequacy and reasonableness of the expenditure involved. Care will be taken to ensure that the projected expenditure does not become a source of profit to the sponsors.

(d) As the scheme in Unnikrishnan prohibits commercialization and profit-making, it will not be open to the institutions concerned to claim any return on investments. This should, however, not come in the way of the institutions in mobilizing resources for replacement and upgradation of assets. Further, while earning return on investment

would not be permissible the court had, in the Unnikrishnan judgement left the question of recovering investment on the Central Government and the statutory bodies. It is therefore, considered desirable that the Development Fee could provide for an element of partial capital cost recovery to the Management (but not a return on investment) and to serve as a resource for upkeep and replacement.

(e) Development Fee may be at flat rates to be determined every three years by the AICTE and UGC as the case may be. Different rate may be prescribed for "Payment", "Free Merit", and 'Foreign NRI' seat holders. These Bodies could also classify institutions in different categories for the purposes of prescribing different slabs provided such categorization is based on intelligible and objective criteria.

(f) In the first ten years, it would be open to the managements to appropriate upto half of the proceeds of the development fee or the actual capital cost, whichever be lower. The remaining half will have to be utilised for upgradation and replacements in the first ten years and thereafter the entire proceeds will have to be so utilised.

(g) As the fee chargeable will be notified by the relevant Committee, it will be the duty of the Statutory body concerned to communicate the rate of Development Fee to such bodies well in advance to enable the appropriate Committees to suitably incorporate such rates in their Notification. The UGC/AICTE will take into account the views and suggestions of the private institutions, the State Governments and interested members of Public while determining these rates.

6.7 Maintenance of Fee Accounts :

(a) Institutions will maintain two accounts—Maintenance Accounts and Development Accounts.

(b) The proceeds of Tuition Fee and 'cost recoveries' of boarding and messing etc. will be credited to the Maintenance Accounts. This account will be maintained in two parts—(a) Pay and allowances and (b) other expenditure. All recurring expenditure will be met from this account and brought to account under these two parts.

(c) At least half the proceeds of Development fee will be credited to the Development Account in the first ten years, after which this Account will receive the entire proceeds of this fee ; Miscellaneous receipts of the institution would also be credited to the same account. The proceeds of this fee would be utilised for procurement of equipments, books and journals and acquisition of assets. It will be also be open to the management to debit expenditure on improvement of faculty also to this account.

(d) The regulations of UGC and the AICTE will provide for Audit of accounts of the relevant institutions, to ensure that the financial managements conforms to the broad framework of these guide-lines and the regulations.

6.8 Other procedural matters connected with levy of fee:

(a) Fee once fixed will be valid for a period of three years. Fee will be payable in advance for a semester. Each Committee will notify for general information the total fee payable per semester in the month of December every year, for the next year, in two News papers having wide circulation in the State concerned. This exercise shall be carried out annually notwithstanding the fact that the rates once fixed will be in force for three years.

(b) While fixing fee, once every three years, the Committees will take into account the unspent balance, if any in the maintenance and development accounts while fee for the next three years.

(c) Institutions which levy fee at rates higher than those fixed, or fail to maintain accounts in the manner laid down or are otherwise found to contravene the provisions of the appropriate Regulations are liable to have their permission/affiliation cancelled. The appropriate regulations will incorporate these guidelines.

7. Resolved that the above be suitably incorporated in regulations of the University Grants Commission and the All India Council of Technical Education.

8. Resolved further that for the above purposes thsi resolution be deemed to be instructions issued by the Central Government to the University Grants Commission under sub-section (1) of Section 20 of the UGC Act 1956 and under sub-section (1) of Section 29 of the AICTE Act—1987.

P. R. DASGUPTA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064